



2026:AHC:35162

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट- सी संख्या-5172 सन् 2026

बाबू रजा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 51 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धरणीधर पांडे

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्था संख्या 2, अर्थात् उप- मण्डल अधिकारी, बंसी, जिला सिद्धार्थ नगर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 की धारा 116 के तहत दाखिल मामला संख्या 1331 सन् 2024, कंप्यूटरीकृत मामला संख्या T 202417630201331 (बाबू रजा बनाम मजीबुल्लाह एवं अन्य) के विभाजन संबंधी मुकदमे का निर्णय करने और आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 207 के तहत दाखिल अपील संख्या C 202515000000910 (पुल्लू बनाम मोती लाल और अन्य) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया जाए।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रत्यर्था संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्था संख्या 52 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता को सुना गया।
3. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थागण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह रिट याचिका अंतिम रूप से निपटाया जाता है प्रत्यर्था संख्या 2, अर्थात् उप मंडल अधिकारी, बंसी, जिला सिद्धार्थ नगर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त

2

मुकदमे का निर्णय सख्ती से विधि के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद किया जाए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

17 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"